पत्रांक 201 /आयु0क0/उत्तरा0/धारा–57/वा0कर/2009–10/दे0दून

(2)

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड,
(धारा–57, अनुभाग)
दिनांकः देहरादूनः06 जनवरी, 2010

प्रार्थना पत्र सं0 – 19.11.09
सर्वश्री छोटे लाल अग्रवाल ,
ए–14 नवीन गल्ला मण्डी बरेली रोड हल्द्वानी।
निर्णय का दिनांक– जनवरी 2010,
फर्म की ओर से उपस्थित– कोई उपस्थित नही हुआ।

उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय।

मैसर्स छोटे लाल अग्रवाल, ए–14 नवीन गल्ला मण्डी, बरेली रोड हल्द्वानी द्वारा उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा–57 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र देते हुये राईस पफ पर करदेयता के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा गया है।

2. विभागीय मत ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0)वाणिज्य कर, नैनीताल सम्भाग, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करते हुये स्पष्ट किया गया है कि प्रश्नगत वस्तु वैट अधिनियम की किसी अनुसूची से आच्छादित नही है। अतः इस पर अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति 12.5 प्रतिशत की दर से करदेयता लागू होगी।

3. अपना पक्ष रखने हेतु व्यापारी को दिनांक 15–12–09 एवं 30–12–09 के लिये नोटिस प्रेषित किया गया, लेकिन निर्धारित तिथि पर कोई उपस्थित नही हुआ। दिनांक 30–12–09 को उक्त वाद की सुनवाई के स्थगन के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र निर्धारित शुल्क सहित न होने के कारण संज्ञान योग्य नही है। अतः गुण दोष के आधार पर प्रार्थना–पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

4. मेरे द्वारा व्यापारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा विभागीय मत का अवलोकन किया गया। उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम की अनुसूची–I,अनुसूची–II(ए), अनुसूची II(बी) व अनुसूची–II (सी) के तहत प्रश्नगत वस्तु **"राईस पफ"** आच्छादित नही होती है। अतः इसकी बिकी पर अवर्गीकृत वस्तुओं की भांति R.N.R.की दर अर्थात 12.5 प्रतिशत की दर से बिकी के प्रत्येक बिन्दु पर कर देय होगा। इस प्रकार व्यापारी द्वारा पूछे प्रश्न का उत्तर दिया जाता है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा संम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजा जाय।

(वी0के0सक्सेना) 06 01 2010
एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

पृ0-2

पृ0प0सं0 ५३०१ / दिनांक उक्त।
प्रतिलिपि :— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्दिरा नगर देहरादून।
2. एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, गढवाल जोन देहरादून / कुमॉऊ जोन रूद्रपुर।
3. एडिशनल कमिश्नर,(आडिट) / (प्रर्वतन) वाणिज्य कर, मुख्यालय देहरादून ।
4. समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर /
5. हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित की वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / बार एशोसिएशन के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
6 ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून / हल्द्वानी ।
7. ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0 / परिवर्तन) वाणिज्य कर हरिद्वार / रूद्रपुर ।
8. बरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर की बेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें
9. पोर्टल प्रबन्धक, उत्तरा पोर्टल एन0आई0सी0,4 सुभाष रोड़ देहरादून ।
10 सख्या–अनुभाग को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों / अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वार प्रेषित कर दें।
11. नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड़ गाजियाबाद।
12. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15 / 5 राज नगर गाजियाबाद।
13. लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर गाजियाबाद।
14. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु ।
15. विधि–अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

06.01.2011

एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर
मुख्यालय, देहरादून।

01